संख्या-27/2019/4431/26-3-2018-4(56)/96टी0सी0

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी 2019

विषयः-शैक्षिक सत्र 2017-18 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ट्रान्जेक्शन फेल से सम्बन्धित धनराशि के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3178/स0क0/शिक्षा-अ/02/103/2018-19 दिनांक-18.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ट्रान्जेक्शन फेल से सम्बन्धित धनराशि रू0-2497.19453 लाख के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-''2225-01-277-19-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के मानक मद में प्राविधानित धनराशि, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखी जा चुकी है, से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1)- यह सुनिश्चित किया जायेगा किया जायेगा कि जिन छात्रों का ट्रान्जेक्शन फेल्योर हुआ था, उन्हीं छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाय।

(2)-राजकोष में धनराशि जमा होने की पुष्टि स्व स्तर से कर लेंगे।

(3)-भविष्य में इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(4)-प्रश्नगत प्रकरण को दृष्टान्त नही माना जायेगा।

(5)-चालू वित्तीय वर्ष में यह प्रयास किया जायेगा कि छात्रवृत्ति का वितरण समयान्तर्गत हो जाय, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

पृ0संख्या-27/2019/4431(1)/26-3-2018तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in